19-12-17

वकील अपी॰ या स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित नहीं है। रेस्पो॰ अभिभाषक उप॰ है। अपी॰ को बार-बार आवाजें दिलाई गई। अपी॰ की ओर से कोई उप॰ नहीं आया। अतः अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त